Sixteenth Loksabha

an>

Title: Issue regarding dispute between Jharkhand and West Bengal on Massanjore dam.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, मैं झारखण्ड राज्य से आता हूं और वहां किसानों की हालत बहुत खराब है। वहां केवल 8 परसेंट सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 1951-52 में तीन डैम बनाए, एक मसानजोड़ डैम, जो मेरे इलाके में है और मयुराक्षी नदी मेरे लोक सभा क्षेत्र देवघर से निकलती है। झारखण्ड सरकार की केबिनेट मिनिस्टर लुइस मराण्डी जी धरने पर बैठी हुई हैं और लगातार आंदोलन चल रहा है। मसानजोड़, पंचेत और मैथन डैम झारखण्ड की जमीन पर बने थे। उस समय यह तय हुआ था कि हमारे संथाल परगना के रानेश्वर ब्लॉक को पानी दिया जाएगा। वर्ष 1978 में इसका रीविज़िट हुआ और उस समय के बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर और पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने 19 जुलाई, 1978 को एक एग्रीमेंट साइन किया। मैं आपको यह बात ठीक चालीस साल बाद बता रहा हूं। यह तय हुआ कि इन डैम के बदले पश्चिम बंगाल सरकार को दो डैम बनाने हैं।

एक नून डैम और दूसरा काली पहाड़ी डैम बनाना है। 40 वर्ष बीत जाने के बाद भी वह डैम आज तक नहीं बना है। वह हमारी जमीन पर है और हमारा जो वहां पर एक गेट लगा हुआ है, उस डैम पर बंगाल सरकार ने कब्जा कर लिया है। वीरभूमि जिले के एस.पी और डी.सी. कल वहां पर गए थे और वे हमसे लड़ाई करने को तैयार हैं। मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि सन् 1978 में जो एग्रीमेन्ट हुआ था, उसके अनुसार आर्बिट्रेटर जो है, वह सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, यदि यह एग्रीमेन्ट लागू नहीं होगा। इसलिए मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि हम लोगों को न्याय दिलाइए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे – जिनको प्रधान मंत्री बनने की इच्छा है, वह झारखंड जैसे छोटे राज्य को दबाने का जो काम माननीय मुख्य मंत्री जी कर रही हैं, उसके बारे में भारत सरकार इंटरवीन करे और हम लोगों को न्याय दिलाए।

माननीय अध्यक्ष:

श्री सुनील कुमार सिंह,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र और

डॉ. कुलमणि सामल को श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।